

दिल्ली विकास प्राधिकरण
रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
रोहिणी सेक्टर-14, दिल्ली-110085

सं. एसपी/आरएससी/0034/2023/एफ1/-आरएससी/387

दिनांक: 08/06/2023

कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्या- 01/RSC/DDA/2023-24

अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्पोर्ट्स विंग) की ओर से रोहिणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रोहिणी सेक्टर-14, दिल्ली-110085 में निम्नलिखित कार्यों के लिए ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन को दो भागों में अपलोड किया जाएगा, नामतः 'भाग-I' जिसमें तकनीकी बोली है और 'भाग-II' जिसमें 'वित्तीय बोली' शामिल है। निर्धारित तरीके से अपलोड नहीं की गई बोली को बिल्कुल भी हिसाब में नहीं लिया जाएगा। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। बयाना राशि "CAU SPORTS DDA (EMD ACCOUNT)" के खाते में "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (IFSC. KKBK0000184)" के खाता संख्या 1614159849 में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की जाएगी।

N.O.W:- आरएससी में खेल/सांस्कृतिक गतिविधियों/कार्यक्रमों का उत्सव।
उपशीर्ष: रोहिणी खेल परिसर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2023 का आयोजन।

अनुमानित लागत: रुपये। 1,00,000/-

बयाना राशि : रु. 5,000/-

(संलग्न मात्रा की अनुसूची)

कोटेशन दस्तावेज ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in पर 14/06/2023 (अपराह्न 03:00 बजे) तक प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं। बिक्री की तारीख और 15/06/2023 (3:30 अपराह्न) को तकनीकी बोली खोलना। आरटीजीएस/एनईएफटी के विशिष्ट लेनदेन संदर्भ को कोटेशनदाता द्वारा निर्धारित तिथि तक ई-निविदा प्रणाली में अपलोड करना होगा।

तकनीकी बोली (पहला कवर)

तकनीकी बोली में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कोटेशन आवश्यक हैं: -

1. आरटीजीएस/एनईएफटी (ईएमडी) के संदर्भ की स्कैन कॉपी।
2. पैन नंबर की स्कैन कॉपी
3. जीएसटी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।

नियम एवं शर्तें :-

1. आपूर्ति/कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. उद्धृत दर में संबंधित राज्यों के तहत देय जीएसटी सहित सभी कर/लेवी शामिल होने चाहिए, डीडीए इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. भुगतान सचिव, आरएससी की पूर्ण संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई टी एंड पी जारी नहीं किया जाएगा।
5. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. आयुक्त (खेल) बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
7. यदि कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होता है तो आयुक्त (खेल) संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं क्योंकि कार्य घटिया पाया जाता है।
8. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. आवश्यक सांविधिक कटौतियां यथा लागू की जाएंगी।
10. साइट पर किसी भी अवयस्क को नियुक्त नहीं किया जाएगा।
11. विभाग द्वारा एजेंसी को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
12. कोटेशन की वैधता खुलने की तारीख से 60 दिन है।
13. प्रतिबंधित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई बदनाम प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए।
14. जिस व्यक्ति को प्रतिबंधित किया गया है, उसे किसी भी वार्ता में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से मुख्तारनामा हो। प्रतिबंधित व्यक्तियों को नियुक्त करने वाली कोई भी एजेंसी भी प्रतिबंधित करने के लिए उत्तरदायी है।
15. अनुसूची में वस्तुओं की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
16. यदि कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर पूरा काम नहीं किया जाता है, तो यह सचिव / आरएससी के विवेकाधिकार पर होगा कि वह इस तरह की शर्तों पर मद के काम को स्वीकार करें, जैसा कि सचिव उचित और उचित समझे या आपूर्ति / रद्द करने के लिए।

कार्य आदेश/ कार्य के विरुद्ध किसी भी भुगतान को रोकने के लिए/बयाना राशि को जब्त करने के लिए या संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी फोरम के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

17. कार्य के निष्पादन के दौरान ठेकेदार की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। यदि साइट/आस-पड़ोस में कोई नुकसान/चोरी/क्षति होती है, तो उसे उद्धृत दरों पर ठीक किया जाएगा या एजेंसी से वसूल किया जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर भरपाई की जाएगी।

18. यदि कोई एजेंसी पहली बार दोषपूर्ण या अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है, तो जमा की गई बयाना राशि का 20% जब्त कर लिया जाएगा। हालांकि, यदि एजेंसी गलती करती है या बाद की निविदाओं में फिर से अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी को पता चलता है कि चूक जानबूझकर, लापरवाही या दुर्भावना से की गई है, तो बिना कोई कारण बताए बयाना राशि को पूरी तरह से जब्त कर लिया जाएगा और निविदाकर्ता को भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

19. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए, कॉम्प्लेक्स के सचिव, आरई और डीडीओ के कॉम्प्लेक्स के सचिव की एक समिति द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी।

20. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों के वास्तविक समय के फीडबैक के आधार पर, जब भी सेवा में कोई कमी देखी जाएगी, उसे सुधार के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अनुपातिक कटौती, एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।

21. आपूर्ति/कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 03 दिवस के अन्दर अथवा 21 जून 2023 के पूर्व पूर्ण कर लिया जायेगा।

हस्ता/-

आरई (सिविल)/आरएससी

कॉपी में:-

1. आयुक्त (खेल), डीडीए - कृपया जानकारी के लिए।
2. निदेशक (सिस्टम)/डीडीए ई-मेल के माध्यम से। ddateender@dda.org.in।
3. वरिष्ठ ए.ओ. (खेल), डीडीए।
4. डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सभी सचिव।
5. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ई-18 विकास कुटीर, नई दिल्ली।
6. डीडीए कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन, कमरा नंबर 12, बैरक नंबर 1, ब्लॉक-ए, विकास कुटीर, नई दिल्ली।
7. दिल्ली कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (सी), 306, मस्जिद मोठ, एनडीएसई, पार्ट- II, नई दिल्ली।
8. एएओ/आरएससी।
9. नोटिस बोर्ड।

हस्ता/-

आरई (सिविल)/आरएससी

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
ROHINI SPORTS COMPLEX
ROHINI SECTOR-14, DELHI-110085

No. SP/RSC/0034/2023/F1/-RSC/387

Dated : 08/06/2023

NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 01/RSC/DDA/2023-24

Online quotations are invited on behalf of Chairman, Delhi Development Authority (Sports Wing) for the following works at Rohini Sports Complex, Rohini Sector-14, Delhi-110085. **The quotation shall be uploaded in two parts, namely, 'Part -I' containing Technical Bid and 'Part - II' comprising 'Financial Bid'. The bid not uploaded in accordance with the prescribed manner will not be accounted for at all.** The tenderer should be registered with the GST Department and furnish a copy of registration with the tender. The tenderer should be registered with the GST Department and furnish a copy of registration with the tender. Earnest money shall be deposited through RTGS/NEFT in the account of "CAU SPORTS DDA (EMD ACCOUNT)" having Account No. 1614159849 with "Kotak Mahindra Bank, Gulmohar Park, New Delhi, (IFSC. KKBK0000184)."

N.O.W:- Celebration of Sports/Cultural activities/events at RSC.

S.H:- Celebration of International Yoga Day 2023 at Rohini Sports Complex.

Estimated Cost: Rs. 1,00,000/-

Earnest Money : Rs. 5,000/-

(SCHEDULE OF QUANTITY ATTACHED)

Quotation documents can be obtained / download on the e-tendering portal i.e. website <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> or www.dda.org.in upto 14/06/2023 (03:00 pm) (last date of sale) and Opening of technical bid on 15/06/2023 (3:30 pm). The unique transaction reference of RTGS/NEFT shall have to be uploaded by the quotationer in the E-Tendering system by the prescribed date.

TECHNICAL BID (FIRST COVER)

The quotations are required to furnish following documents in technical bid:-

- i. Scanned copy of reference of RTGS/NEFT (EMD).
- ii. Scanned copy of PAN No.
- iii. Scanned copy of GST Certificate.

TERMS & CONDITIONS :-

1. The supply/work shall be done as per specifications.
2. Quoted rate should be inclusive of all taxes / levies including GST, payable under respective states, DDA will not entertain any claim, whatsoever in this regard.
3. The payment will be made after entire satisfaction of Secretary, RSC.
4. No T & P will be issued by Department.
5. No advance payment will be made to the agency.
6. Commissioner (Sports) reserves the right to accept or reject any bid / quotation without assigning any reason.
7. Commissioner (Sports) reserves the right to debar the concerned agency if the work is not completed in stipulated time as work is found to be substandard.
8. Conditional quotation will not be accepted.
9. Necessary statutory deductions as applicable will be made.
10. No minor shall be engaged at site.
11. Nothing extra will be paid to the agency by the department.
12. Validity of Quotation is 60 days from the date of opening.
13. Debarred agency/or individual shall not be permitted to participate in the tendering process. Agency should be reputed and does not have any tarnished reputation.
14. Any individual who has been debarred is not permitted to take part in any negotiations or represent an agency even if he holds a power of attorney on the agencies behalf. Any agency engaging debarred persons is also liable to debarring.
15. The quantities of items in schedule are tentative which may change depending upon site conditions.
16. If the entire work is not done within the stipulated time mentioned in work order, it will be sole discretion of the Secretary/RSC to accept the work of item on such terms as the Secretary deemed fit and proper or to cancel the supply/work order/ to stop any payment against the work / to forfeit the earnest money or to debar the concerned agency. The decision of the Competent Authority in this behalf shall be final and not to be called in question before any Forum.
17. The contractor will be fully responsible during execution of work. If any loss/ theft/ damage caused at site/surrounding, the same shall be made good with in quoted rates or recovered from the agency/shall be made good at agency's risk and cost.
18. If any agency submits a faulty or incomplete tender for the first time, 20% of the earnest money so deposited shall be forfeited. However, if the agency commits fault or submits incomplete tender again in the subsequent tenders and the competent Authority finds that the default has been willful, negligent or malafide in its intent, the earnest money shall be forfeited absolutely without assigning any reason and the tenderer shall not be allowed to participate in future tendering.
19. In case the rates quoted by the bidders are same, then in order to arrive at a decision, a draw of lots shall be carried out by a Committee comprising of Secretary of the Complex, RE and DDO of the complex.
20. Based on real time feedback of members and administrative staff of DDA as and when a deficiency of service is noticed the same will be intimated to the agency/ contractor for rectification. In case there is no improvement/ rectification within prescribed period from the time of intimation proportionate deduction, as approved by the Competent Authority, shall be made from the agency/ contractor.
21. The supply/work shall be completed within 03 days from the date of issue of the order or on before 21 June 2023.

Sd/-
RE(Civil)/RSC

Copy to:-

1. Commissioner (Sports), DDA-For information please.
2. Director (System)/DDA through E-Mail. ddatender@dda.org.in.
3. Sr. A.O. (Sports), DDA.
4. All Secretaries of the DDA Sports Complexes.
5. DDA Contractor association E-18 Vikas kuteer, New Delhi.
6. DDA Contractor Welfare Association, Room no.12, Barrack no.1, Block-A,Vikas Kuteer, New Delhi.
7. Delhi Contractor Welfare Association (C), 306, Masjid Moth, NDSE, Part-II, New Delhi.
8. AAO / RSC.
9. Notice Board.

Sd/-
RE(Civil)/RSC

Schedule of quantity

N.O.W:- Celebration of Sports/Cultural activities/events at RSC.

SH:- Celebration of International Yoga Day 2023 at Rohini Sports Complex.

S.No.	Description of items	Qty.	Unit	Rate	Amount (In Rs.)
1.	Stage, Green Carpets all complete as per direction of Secretary, RSC.	1	Job		
2.	PA & Sound System hiring (Including Mikes, Amplifier, Speakers etc.)	1	Job		
3.	Water bottles(250 ml)	1200	Nos.		
4.	Banners (2 Nos.)	1	Job		
5.	Photography (Including making of photo album)	1	Job		
6.	Misc.(Tea and snacks arrangement for guests and VIPs)	1	Job		
Total (In Rs.)					

Sd/-
RE(Civil)/RSC